पत्रांक - मं०मं०-01/आर०-28/2006................

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी विभागाध्यक्ष
सभी जिला पदाधिकारी
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक..................., 2014

विषय - सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के संदर्भ में बनायी गई नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प सं०-434, दिनांक-01.03.2007, 1697, दिनांक-28.05.2008 एवं परिपत्र सं०-881, दिनांक-03.06.2009

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगाधीन संकल्प एवं परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बनायी गई नीति का सही-सही अनुपालन बहुत सारे मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त संकल्प की मूल भावना यह थी कि सभी सक्षम प्राधिकार स्थानान्तरण/पदस्थापन उपलब्ध रिक्ति एवं उपलब्ध कार्यबल का सही-सही मूल्यांकन कर एवं सभी संबंधित/सम्भावित पहलूओं पर विचार कर वर्ष के माह जून में स्थानान्तरण/पदस्थापन करें ताकि पूरे वर्ष सरकारी तंत्र इस कार्य में उलझा न रहे एवं जनहित के कार्यों का ससमय निष्पादन हो। परन्तु विभिन्न विभागों द्वारा हाल में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की समीक्षा करने पर यह पाया जा रहा है कि उपलब्ध रिक्तियों, कार्यबल एवं 3 वर्षो की कार्यकाल अवधि (यदि किसी विभाग द्वारा स्थाई आदेश के जरिये किसी पद विशेष के लिए स्थानान्तरण हेतु सेवावधि दो वर्ष निर्धारित की गई हो को छोड़ कर) एवं अन्य सभी संबंधित पहलूओं पर पूर्णतः विचार किये बिना ही स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश निर्गत किये जा रहें हैं। निम्नलिखित प्रकार के दृष्टांत सरकार के संज्ञान में आए हैं कि माह जून में किये गये स्थानान्तरण के तुरंत बाद निम्न कारणों को आधार बना कर विभाग द्वारा बड़ी संख्या में स्थानान्तरण लगातार किये जा रहे हैं यथा :-

(i) रिक्तियों का सही आकलन नहीं होने के फलस्वरूप।

(ii) सरकारी सेवकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का कतिपय कारणों से जून माह विचारित नहीं होने के कारण।

(iii) नये अभ्यावेदनों के प्राप्ति के कारण।

(iv) यह भी देखा जा रहा है कि जून माह के स्थानान्तण के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर पुर्नविचार एवं स्थगन आदेश भी निर्गत किये जा रहे हैं।

(v) प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक कारणों के स्पष्ट किये बिना भी 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पूर्व (यदि किसी विभाग द्वारा स्थाई आदेश के जरिये किसी पद विशेष के लिए स्थानान्तरण हेतु सेवावधि दो वर्ष निर्धारित की गई हो को छोड़ कर) स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जा रहे हैं।

क्रमश पृ० . . 2

(2) ये ऐसे दृष्टान्त हैं जिस कारण सरकार द्वारा स्थापित नीतिगत सिद्धान्त पूर्ण रूप से पराभूत (Defeated) हो जा रहें हैं, जो सरकार द्वारा निर्गत संकल्प की अवहेलना हो रही है। साथ ही इससे सरकार के जनहित कार्यो के प्रगति में भी बाधा पँहुचती है।

(3) ऐसे दृष्टांत भी प्रकाश में आये हैं कि सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में वाह्य व्यक्तियों की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विचार किया जा रहा है जो सरकार के निरूपित प्रावधानों के विपरीत है।

(4) उपर्युकत तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी सक्षम प्राधिकारों को निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

(i) सरकार के सभी सेवकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन तीन वर्षो के बाद या (यदि किसी विभाग द्वारा स्थाई आदेश के जरिये किसी पद विशेष के लिए स्थानान्तरण हेतु सेवावधि दो वर्ष निर्धारित की गई हो को छोड़ कर) उपर्युक्त दर्शाये गयें सभी पहलूओं पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष में एकबार माह जून में ही किये जायें।

(ii) स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु वाह्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अनुरोध पर विचार न किया जाय एवं वैसे सरकारी सेवकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके स्थाई चरित्र-पुस्ति में इसे अंकित किया जाय।

(iii) प्रशासनिक दृष्टिकोण से वैसे सरकारी सेवकों जिस पर कोई आरोप निरूपित किये गये हैं, या उनके द्वारा सम्पादित किये गये कार्यो में अवहेलना बरती जा रही हो या वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उनसे नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाय न कि स्थानान्तरण। क्योंकि वैसे सेवक के मात्र स्थानान्तरण से मूल समस्या का समाधान नहीं होता है।

(iv) सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में ही पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोनुकूल स्थान पर स्थानांतरण/ पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। इससे भिन्न सभी मामलों में, जिला सम्वर्ग को छोड़कर, किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों को गृह जिला का पद नहीं माना जाएगा।

अनुरोध है कि दिये गये निदेशों का अचूक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-01/आर०-28/2006..1243..पटना-15, दिनांक...8/10/..., 2014

प्रतिलिपि - मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/X/14

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव